भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3388

20 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरों में जल की कमी और जल संरक्षण

3388. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्रीमती शांभवीः
श्री राजेश वर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सर्वाधिक जल-संकटग्रस्त शहरों का ब्यौरा क्या है साथ ही शहरी जल की कमी को दूर करने और जल संरक्षण में सुधार के लिए क्या उपाय किए गए हैं:

(ख) देश में, वर्तमान में 24/7 पाइप द्वारा जलापूर्ति प्राप्त करने वाले शहरों का प्रतिशत क्या है और सरकार विशेषकर महाराष्ट्र और अन्य शहरी क्षेत्रों में इस कवरेज का विस्तार करने के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है;

(ग) भू-जल पुनर्भरण में सुधार के लिए अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्रों में झीलों और जलाशयों सहित जल निकायों के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(घ) विलवणीकरण परियोजनाओं, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और वर्षा जल संचयन नीतियों की स्थिति क्या है और भविष्य की जल की मांगों को पूरा करने के लिए उन्हें किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार का जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जल की कमी को दूर करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश के प्रमुख महानगरों में तीव्र जल संकट को रोकने के लिए कौन-सी नीतियां लागू की गई?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ङ): जल राज्य का विषय है; इसलिए जल प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने विभिन्न दिशा-निर्देश जारी करने और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (एएमआरयूटी) और अमृत 2.0 जैसे राष्ट्रीय

मिशनों के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल के सतत प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

अमृत योजना 500 शहरों में पानी, सीवरेज, जल निकासी, शहरी परिवहन और पार्क जैसे मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में शुरू की गई थी। देश के सभी सांविधिक कस्बों/यूएलबी को जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए, अमृत 2.0 को 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। अमृत 2.0 शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने पर केंद्रित है। जलाशयों का पुनरुद्धार और हरित स्थानों और पार्कों का विकास मिशन के अन्य घटक हैं।

अमृत मिशन के अंतर्गत, जल आपूर्ति क्षेत्र में, राज्य जल आपूर्ति प्रणाली के नए/संवर्द्धन/पुनर्स्थापना; जलापूर्ति के लिए जलाशयों के पुनरुद्धार और भूजल पुनर्भरण आदि से संबंधित परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं। अब तक, 43,430 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,405 परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। अमृत मिशन के अंतर्गत तथा राज्यों के साथ मिलकर 189 लाख नल कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) प्रदान किए गए हैं तथा 4,734 एमएलडी जल शोधन क्षमता सृजित की गई है। इसके अलावा, अमृत के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 79.19 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 वर्षा जल संचयन परियोजनाएं तथा 71.19 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं शुरू की हैं।

महाराष्ट्र में अमृत मिशन के अंतर्गत, 4,446.06 करोड़ रुपये की लागत की 43 जलापूर्ति परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत मिशन के अंतर्गत और राज्य के साथ समन्वय में 11.73 लाख नल कनेक्शन (नए/सर्विस्ड) प्रदान किए गए हैं और राज्य में 445.7 एमएलडी जल शोधन क्षमता सृजित की गई है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत अब तक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1,14,220.62 करोड़ रुपए की लागत वाली 3,568 जलापूर्ति परियोजनाओं और 6,209.53 करोड़ रुपए की लागत वाली 3,032 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य में अब तक 15,776.44 करोड़ रुपये की लागत वाली 117 जलापूर्ति परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित परियोजनाओं में 41.33 लाख नए/मरम्मत नल कनेक्शन और 1,829.02 एमएलडी जल शोधन संयंत्र क्षमता शामिल हैं।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य में अब तक 1,535.86 करोड़ रुपए लागत की 96 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

अमृत के अंतर्गत तथा तालमेल में तमिलनाडु में 985 करोड़ रुपये (संचालन एवं रखरखाव सहित) की लागत से एक डीसेलीनैशन प्लांट चालू/पूरा किया गया है। अपशिष्ट जल शोधन एवं पुनर्चक्रण के लिए अमृत के अंतर्गत 34,505 करोड़ रुपये की लागत से 890 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। 4,447 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता सृजित की गई है तथा रीसाइकल/रीयूस के लिए 1,437 एमएलडी सीवेज शोधन संयंत्र क्षमता विकसित की गई है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत राज्य जल कार्य योजनाओं को 67,607.67 करोड़ रुपये की लागत वाली 592 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें कुल 6,739 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता और रीसाइकिल/पुनः उपयोग के लिए 2089 एमएलडी सीवेज शोधन क्षमता शामिल है।

इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf) जारी किए हैं। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2014 के अध्याय-6 "स्थायित्व दिशानिर्देश" वर्षा जल संचयन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है।

मंत्रालय ने मॉडल बिल्डिंग उपनियम (एमबीबीएल)-2016 (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf) भी जारी किया है, जिसमें अध्याय-9 राज्यों द्वारा अपनाए जाने हेतु वर्षा जल संचयन के प्रबंधन से संबंधित है।

******